## कार्यालय मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन, लखनऊ।

(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ।)

पत्रांकः 📆 🔰 / प्रब०(इको) / सि०—सैनि० / अनुरक्षण / 2023—24

दिनांक...03 ...0 2023

## कोटेशन आमंत्रण सूचना

मान्यवर श्री कांशीराम ग्रीन (इकों) गार्डेन, लखनऊ में लगे शटर की मरम्मत व पेन्टिंग का कार्य कराये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत, अनुभवी ठेकेदारों / फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किये जाते है:-

S.No	Discription	Qty.(area)	Unit
1	Removing paint or varnish with paint remover or caustic soda, including supply of all materials, labour and T&P etc. require completion of works. (As Per PWD Schedule 657)	240.75 sqm	Sqm
2	Painting or varnishing on iron works in small areas or new wood work with on coat of ready mixed priming paint & one coat of approved superior quality ready mixed paint of clear synthetic varnish including supply of all materials, labour and I &P etc. required for proper completion of work. Paint to be used should confirm to the I.S.I. No. 103 1950 (As Per PWD Schedule 641)	240.75	Sqm
3	Same as in item 641 above but for every coat after 1st coat.  Details of cost for 650sft. Area. (As Per PWD Schedule 642)	240.75	Sqm
4	Repairing & servicing of rolling shutter the work includes welding and repairing of spring wherever required oiling, greasing & other related works complete in all respects for proper functioning of rolling shutter (1 Job). (As per market rate)		No.

इच्छुक ठेकेदार/फर्म 07 कार्यदिवसों में अपना कोटेशन पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सीलबन्द लिफाफे में प्रबन्धक, मान्यवर श्री कांशीराम ग्रीन (इको) गार्डेन, लखनऊ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित दिवस के पश्चात् कोटेशन प्राप्त होने की स्थिति में उक्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन स्वीकृत/निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के अधीन होगा।

नियम व शतेंं :--

1. मरम्मत/अनुरक्षण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप किया जायेगा।

(अपर्णा सरकार मौमिक) प्रबन्धक

प्रतिलिपि : पत्रांक व दिनांक उक्तवत्।

- मुख्य प्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- 2. प्रेब्स्थक(वित्त) को सूचनार्थ।

प्रबन्धक(अनुरक्षण / लेखाधिकारी) को सूचनार्थ।

4. आई0टी0सेल (मुख्यालय) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त काटेशन आमंत्रण-सूचना को स्मारक समिति की वेबसाइट पर अपलोड सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।

नोटिस बोर्ड।

पबन्धक